

द्वितीय अनुपूरक अनुमान 2020-21 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम		प्रावधान (रूपये में)
363	आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	100000
495	आश्रम और शालाएं	3100000
573	उच्च न्यायालय (भारत)	100 *
578	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	10800000
583	उच्चतर माध्यमिक शालाएं	8000000
717	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं	200 *
750	औषध नियंत्रण	132800000
761	कन्या शिक्षा परिसर	100000
976	औ. प्र. स. कार्यालय भवनों का निर्माण	300 *
1500	जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय -मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिये	400000
2621	विकास योजना बनाना, पुनर्विलोकन एवं उपान्तरण करना	20000000
2668	पोलीटेक्निक संस्थाएं	100 *
2772	प्राथमिक शालाएं	55000000
3283	मंत्रियों के दौरे के समय पेट्रोल पर व्यय	5000000
3491	माध्यमिक शालायें -मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	10000000
3492	माध्यमिक शालाएं	17000000
3926	विकास आयुक्त	7400000

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 1

द्वितीय अनुपूरक अनुमान 2020-21 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम		प्रावधान (रूपये में)
4220	शिक्षा - चिकित्सा महाविद्यालय	50000000
4327	सचिवालय	10000000
4396	सरकारी प्राथमिक शालाएं -मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	26500000
4491	सामान्य व्यय (जिला स्थापना)	65100000
4497	सामान्य स्थापना	100 *
5024	आदिवासी विशेष पिछड़े समूह	100 *
5169	विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	367130000
5216	हाई स्कूल	9000000
5401	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	666976000
5480	आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार (अनुच्छेद 275 (१))	200 *
6386	चिकित्सा, दंत, फिजियोथेरेपी महाविद्यालय	31820000
6429	पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	9470000000
6443	7.08 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2029	354000000
6444	7.11 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2029	355500000
6445	7.59 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2029	379500000
6446	7.35 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2029	984900000
6448	गोधन न्याय योजना	800000000

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 2

द्वितीय अनुपूरक अनुमान 2020-21 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम		प्रावधान (रूपये में)
6458	5.40 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2024	100 *
6459	5.09 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2023	100 *
6460	मानव तस्करी विरोधी ईकाई (ए.एच.टी.यु.)	36000000
6461	वुमन हेल्प डेस्क (डब्लू.एच.डी.)	30000000
6464	सीजी.आर.आई.डी.सी.एल.के द्वारा निर्माण कार्य हेतु लिए गए ऋण के ब्याज की अदायगी	100 *
6465	सीजी.आर.आई.डी.सी.एल.के द्वारा निर्माण कार्य हेतु लिए गए ऋण की अदायगी	300 *
6717	प्रतिपूर्ति योग्य सुरक्षा संबंधी व्यय	50000000
6933	पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	299975000
7336	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	185069000
7340	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन	32513000
7620	उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में राहत हेतु सब्सिडी	4179000000
7629	अनुसूचित जाति के लिए केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ	319940000
7633	क्राईम एंड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क सिस्टम	40000000
7699	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	780339000
7706	अमृत मिशन	1352832000
7811	डॉयल 100/112	250000000
7845	नगरीय निकायों की जल आवर्धन योजना	300000000

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 3

द्वितीय अनुपूरक अनुमान 2020-21 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम		प्रावधान (रूपये में)
7936	विशेष अधोसंरचना योजना-सुदृढ़ पुलिस थानों के निर्माण के साथ	100000000
7976	जवाहर सेतु योजना	100 *
7993	छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि से व्यय	2000000000
8403	शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिये अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिये	70000000

योग

23865795800